

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 का फा. शा. वि. रापुर

दिनांक:- 21/6/2025

प्रकरण संख्या:- 76/2025

उपखण्ड

श्री. केली देवी ७/०
 रामकिशोर

नाम

राजस्व जारी के तहसीलदार
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्तती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के माध्यम से
 तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की
 रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्वधान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के तहत
 नाम शपुर की वर्तमान रथायी
 अभावदंडों के खारा संख्या 163, 164 के माध्यम से
 निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये
 जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहस्य आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)
	नाम अशुद्धि	केली देवी ७/० स्व. रामकिशोर	केली देवी ७/० स्व. रामकिशोर

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री केली देवी ७/० स्व. रामकिशोर कि रापुर
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
 चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)